

23/12/24

पत्रावली पेश हुई वकील पत्रकारान उपर
 मूल T.1 प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्षों की
 बहस सुनी गरी प्रस्तुत बहस व पत्रावली
 में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनानुसार
 मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक T.1
 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है पत्रावली
 फैसल श्रुति होकर दर्ज नम्बर से कम
 हो। आदेश सुनने न्यायालय में सुनाया
 गया।

अधिवक्ता
 सॉलर लेक

